




झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्



जिला स्तरीय कार्यालय : दुमका

खुदराबाँध, दुमका - 814101, झारखण्ड

Phone : 06434-236230

E-mail : jepssadumka@gmail.com

jepssadumka@rediffmail.com

website : www.jepcdumka.ac.in

पत्रांक : 462

दिनांक : ... 07-07-2021

प्रपत्र-2

झारखण्ड राज्य बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दुमका

सेवा में,

अध्यक्ष / संयोजक,
विद्यालय प्रबंध समिति
वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल,
रानीश्वर।

विषय : बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली के नियम 11 अपनियम 5 की अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण-पत्र।


महाशय,

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या-629, दिनांक-25.04.2019 जो कि झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली 2019 के नाम से प्रवृत्त है, के आलोक में आपके द्वारा विद्यालय को मान्यता प्रदान करने लिए समर्पित किये गये स्वघोषणा-सह-आवेदन पत्र एवं विद्यालय का भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन तथा दिनांक-28.06.2021 को संपन्न जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, दुमका की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर मैं आपके विद्यालय वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल, रानीश्वर को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कक्षा प्रथम से कक्षा अष्टम तक के लिए संचालन हेतु मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी -

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 तथा झारखण्ड राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली 2019 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पोषक क्षेत्र के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समुह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह की यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका 3 में उल्लेखित बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगी।


MANAGER
Western English School
Ranishwar, Patna D.


27.7.21
Secretary
Western English School
Ranishwar, Dumka



5. विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चे को उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रिनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता नामांकन का विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारणों के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे -
 - किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जायेगा और ना ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
 - किसी भी बच्चे का किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।
 - शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा।
 - शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उल्लेखित मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है -

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	4 एकड़ 9.48 डिसमील
कुल निर्मित क्षेत्र	9610.92 वर्ग फीट
खेल के मैदान का क्षेत्र	हाँ
वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या	9
प्रधानाध्यापक सह कार्यालय	हाँ
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय	हाँ
पेयजल की सुविधा	हाँ
सुसज्जित भोजन के लिए रसोई घर	लागू नहीं
बाधा रहित पहुँच	हाँ
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय	हाँ



29/7/21
MANAGER

Western English
Ranishwar, Pathra, Duma


29/7/21

Secretary
Western English
Ranishwar, Du

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्षा विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनायें अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 22) के अंतर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समुह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणिकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यालय को भेजी जायेगी।
16. विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **RTE/07/2021-22** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित किया जायेगा।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय-समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नविकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।
19. विद्यालय भवन/आपदा सुरक्षा निःशक्त बच्चों हेतु बाधामुक्त व्यवस्था, रसोई घर एवं बच्चों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (अनुलग्नक-1) में शेष निर्धारित मापदण्डों को प्रस्वीकृति के 1 वर्ष के अन्दर पूरा करेगा।
20. दिनांक-28.06.2019 को संपन्न जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, दुमका की बैठक के प्रस्ताव संख्या-02 में लिये गये निर्णय के आलोक में वैसे विद्यालय जिनके भूमि की प्रकृति दान स्वरूप है, के संबंध में झारखण्ड सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में आपके विद्यालय को दी गई मान्यता पर पुनर्विचार किया जायेगा।
21. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार) के अधिसूचना संख्या-629, दिनांक-25.04.2019 के आलोक में एक वर्ष के अन्दर पुनः विद्यालय का निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

M. An
07-07-21

[Signature]
जिला शिक्षा अधीक्षक-सह
नोडल पदाधिकारी,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009
दुमका

[Signature]
29/07/21
MANAGER
Western English School
Ranishwar, Pathra, Dumka

[Signature]
27-7-21
Secretary
Western English School
Ranishwar, Dumka